तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **सिटी प्रमोटर बिल्डवेल प्रा.लि. बनाम इंजीनियर इन चीफ व अन्य** **आपत्ति प्रार्थना–पत्र संख्या : 49 / 2024** **सी.आई.एस संख्या 137 / 2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
01.02.2025	उपभपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी / आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् विपक्षी / अनापत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब–उल–जवाब रिकॉर्ड पर लिए जाने व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. पर आज बहस सुनी गई तथा पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी / आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् विपक्षी / अनापत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब–उल–जवाब रिकॉर्ड पर लिए जाने के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र का विपक्षी / अनापत्तिकर्ता ने जवाब प्रस्तुत कियो है, जिसमें विपक्षी / अनापत्तिकर्ता द्वारा कई प्रारम्भिक आपत्तियां ली गयी हैं, इसलिए प्रार्थी / आपत्तिकर्ता उक्त जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहता है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्पष्टीकरण, कानूनी तर्क और खंडन शामिल है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी / आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर / जवाब–उल–जवाब को रिकॉर्ड पर लिए जाने की कृपा करें। विपक्षी / अनापत्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर मौखिक बहस के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। **बहस** बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में आपत्तिकर्ता अधिवक्ता ने तो वे ही तर्क दिए, जो प्रार्थना–पत्र में अंकित है, जबकि विपक्षी अधिवक्ता का तर्क रहा कि अनापत्तिकर्ता द्वारा अपने जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र में ऐसे कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किए गए हैं, जिनके संदर्भ में जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हो, अतः प्रार्थी / आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब–उल–जवाब को रिकॉर्ड से हटाने की कृपा करें। **निष्कर्ष** प्रार्थी / आपत्तिकर्ता की प्रार्थना–पत्र के माध्यम से मुख्य प्रार्थना विपक्षी / अनापत्तिकर्ता द्वारा लिखित अभिकथनों में उठाए गए नये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जवाब–उल–जवाब की अनुमति दिए जाने बाबत् है। इस संबंध में सुसंगत विधिक प्रावधान आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. में उल्लेखित है, जो यह कथित करते हैं कि ***"पश्चात्वर्ती अभिवचन– प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात् कोई भी अभिवचन, जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरूद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो,***	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-1.pdf

न्यायालय की इजाजत से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय, पक्षकारों में से किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए तीस दिन से अनधिक का कोई समय नियत कर सकेगा।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि जवाबदावे के पश्चात जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में कुछ नये, अतिरिक्त अभिवाक किए गए हों। इस स्थिति में जवाब–उल–जवाब के माध्यम से वादी जवाबदावे में उल्लेखित नये और अतिरिक्त तथ्यों को स्पष्टीकृत कर सकता है या उन्हें इंकार कर सकता है, परन्तु रिजोईंडर / जवाब–उल–जवाब के माध्यम से वादी ऐसे नये अभिकथन / अभिवाक् नहीं कर सकता जो उसके वाद के आधार को पूर्णत परिवर्तित कर दे। दूसरे शब्दों में वादी रिजोईंडर / जवाब–उल–जवाब के माध्यम से पूर्णतः नया वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता, उसे केवल जवाबदावे में वर्णित अतिरिक्त और नये कथनों को स्पष्ट करने की अनुमति होगी।

उक्त विधिक स्थिति के संदर्भ में प्रार्थी / आपत्तिकर्ता का प्रार्थना–पत्र में मुख्य अभिकथन यही है कि विपक्षी / अनापत्तिकर्ता द्वारा अपने जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र में विभिन्न नवीन कथन किए गए हैं। प्रार्थी / आपत्तिकर्ता इन्हीं तथ्यों को जवाब–उल–जवाब के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है। इस संबंध में विपक्षी / अनापत्तिकर्ता का कथन रहा कि वादी ने प्रार्थना–पत्र में झूठे अभिवचन किए हैं।

उभय पक्षकारान के अभिवचनों की सत्यता / असत्यता का किसी भी परिस्थिति में इस स्तर पर गुणावगुण पर निर्धारण सम्भव नहीं है। यह सभी तथ्य साक्ष्य के मोहताज हैं, जिनका अंतिम विनिर्णय विचारण के अंत में ही हो सकता है। इस स्तर पर प्रार्थी / आपत्तिकर्ता, विपक्षी / अनापत्तिकर्ता के जवाबदावे में वर्णित अतिरिक्त व नए तथ्यों को जवाब–उल–जवाब के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है, जिसकी अनुमति आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी / आपत्तिकर्ता को जवाब–उल–जवाब की अनुमति दिया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

इन समग्र परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी / आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. **स्वीकार किया जाकर** प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत जवाब–उल–जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

द्वितीय प्रार्थना–पत्र

प्रार्थी / आपत्तिकर्ता की ओर से एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. बाबत् धारा 5 सी.पी.सी.

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-1.pdf

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **सिटी प्रमोटर बिल्डवेल प्रा.लि. बनाम इंजीनियर इन चीफ व अन्य** **आपत्ति प्रार्थना–पत्र संख्या : 49 / 2024** **सी.आई.एस संख्या 137 / 2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
	के जवाब प्रार्थना–पत्र का जवाब–उल–जवाब पेश किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि किसी प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र के जवाब का जवाब–उल–जवाब पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऐसे किसी उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्रों का गुणावगुण पर विचारण किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी / आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 सी.पी.सी. के जवाब प्रार्थना–पत्र का जवाब–उल–जवाब पेश किए जाने स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति प्रार्थना–पत्र हेतु दिनांक 15.02.2025 को पेश हो। अनु अग्रवाल न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3 जयपुर महानगर, द्वितीय	

Digitally signed by Anu Aggarwal
Date: 2025.02.01 16:38:01 PST

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-1.pdf